

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-27082021-229271
SG-DL-E-27082021-229271

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2021/भाद्र 5, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 152
No. 248]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2021/BHADRA 5, 1943	[N. C. T. D. No. 152

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

कार्यालय जिला अधिकारी (दक्षिण-पूर्व)

घोषणा

दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

फा. सं. डीएम/एसई/आरआर/एलएसी/208.—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1) [भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (मुआवजा, पुनर्वास और पुनःस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम सं. 10 के अनुसार] के अंतर्गत गांव नांगली रजापुर के खसरा संख्या 6 मिन (6727.05 वर्ग मीटर), 8 मिन (1150 वर्ग मीटर), 13 मिन (3164.5 वर्ग मीटर), 40 मिन (2360 वर्ग मीटर), 156 मिन (9401 वर्ग मीटर), 221 मिन (7440 वर्ग मीटर) कुल 30242.55 वर्ग मीटर, सराय काले खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुल्ला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण निर्माण हेतु भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में घोषणा।

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ सराय काले खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुल्ला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण निर्माण हेतु ग्राम - नांगली रजापुर उपखंड- डिफेंस कॉलोनी जिला - दक्षिण पूर्व दिल्ली में कुल 3.024255 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए घोषणा की जाती है की उपयुक्त परियाजना के लिए अर्जन के अधीन एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कुल 3.024255 हेक्टेयर है जो ग्राम - नांगली रजापुर , उपखंड- डिफेंस कॉलोनी, जिला - दक्षिण पूर्व दिल्ली में है एवं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
1	6मिन	व्यक्तिगत	कृषि (सैलाब नदी बांध)	0.120205	रिसाल सिंह पुत्र रामबल आदि , सह स्वामित्व	डी डी ए की भूमि	खसरा सं. 6 का अन्य भाग	डी डी ए की भूमि	खसरा सं. 6 का अन्य भाग
2	6मिन	व्यक्तिगत	कृषि (सैलाब नदी बांध)	0.2950	रिसाल सिंह पुत्र रामबल आदि , सह स्वामित्व	डी डी ए की भूमि	खसरा सं. 6 का अन्य भाग	डी डी ए की भूमि	खसरा सं. 6 का अन्य भाग
3	6मिन	व्यक्तिगत	कृषि (सैलाब, नदी बांध)	0.0875	रिसाल सिंह पुत्र रामबल आदि , सह स्वामित्व	डी डी ए की भूमि	खसरा सं. 6 का अन्य भाग	डी डी ए की भूमि	खसरा सं. 6 का अन्य भाग
4	6मिन	व्यक्तिगत	कृषि (सैलाब नदी बांध)	0.1700	रिसाल सिंह पुत्र रामबल आदि , सह स्वामित्व	डी डी ए की भूमि	खसरा सं. 6 का अन्य भाग	डी डी ए की भूमि	खसरा सं. 6 का अन्य भाग
5	8मिन	व्यक्तिगत	कृषि (सैलाब नदी बांध)	0.1150	रिसाल सिंह पुत्र रामबल आदि , सह स्वामित्व	खसरा सं. 6 का अन्य भाग	खसरा सं. 13 का अन्य भाग	खसरा सं. 40 का अन्य भाग	खसरा सं. 8 का अन्य भाग एवं पुरानी पेंटून
6	13मिन	व्यक्तिगत	कृषि (सैलाब नदी बांध)	0.3154	रिसाल सिंह पुत्र रामबल आदि , सह स्वामित्व	खसरा सं. 8 का अन्य भाग	खसरा सं. 1 का अन्य भाग	खसरा सं. 13 का अन्य भाग	खसरा सं. 12 & 13 का अन्य भाग
7	13मिन	व्यक्तिगत	कृषि (सैलाब	0.00105	रिसाल सिंह पुत्र रामबल आदि ,	खसरा सं. 8	खसरा सं. 1 का अन्य	खसरा सं. 13	खसरा सं. 12

			नदी बांध)		सह स्वामित्व	का अन्य भाग	भाग	का अन्य भाग	& 13 का अन्य भाग
8	40मिन	व्यक्तिगत	कृषि (सैलाब नदी बांध)	0.1760	रिसाल सिंह पुत्र रामबल आदि , सह स्वामित्व	खसरा सं. 6 & 40 का अन्य भाग	खसरा सं. 13 का अन्य भाग	खसरा सं. 40 का अन्य भाग	खसरा सं. 8 का अन्य भाग
9	40मिन	व्यक्तिगत	कृषि (सैलाब नदी बांध)	0.0600	रिसाल सिंह पुत्र रामबल आदि , सह स्वामित्व	खसरा सं. 6 & 40 का अन्य भाग	खसरा सं. 13 का अन्य भाग	खसरा सं. 40 का अन्य भाग	खसरा सं. 8 का अन्य भाग
10	156मिन	व्यक्तिगत	यमुना नदी	0.9401	रिसाल सिंह पुत्र रामबल आदि , सह स्वामित्व	खसरा सं. 1, 13 & 14 का अन्य भाग	बहलोलपुर के किनारे	यमुना नदी	यमुना नदी
11	221मिन	आम जमीन	कृषि (सैलाब नदी बांध)	0.7050	सामलात देह	डी डी ए की भूमि	डी डी ए की भूमि	खसरा सं. 221 का अन्य भाग एवं पुरानी पेंटून पुल मार्ग	खसरा सं. 221 का अन्य भाग
12	221मिन	आम जमीन	कृषि (सैलाब नदी बांध)	0.0390	सामलात देह	डी डी ए की भूमि	डी डी ए की भूमि	खसरा सं. का अन्य भाग एवं पुरानी पेंटून पुल मार्ग	खसरा सं. 221 का अन्य भाग

वृक्ष	
Variety	Number
बकायन	21
शिमबल	1
नीम	11
सहतूत	8
जामुन	3
बेलपत्र	3
पीपल	10
आम	1
अमरुद	4
बेरी	2
संतरा	1
मोसमी	5
अनार	1
चीकू	3
फैकस	8
गुलमोहर	1
पोपुलर	6
टीक	5

यह घोषणा हितवद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जाँच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनःस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या "शून्य" है एवं इसलिए कोई भी पुनर्वास क्षेत्र चिन्हित नहीं किया गया है। उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खानिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस परियोजन के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी दक्षिण पश्चिम के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है एवं यह मंडलायुक्त एवं जिला अधिकारी दक्षिण पश्चिम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पुनर्वास और पुनःस्थापन स्कीम का सार संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त

संजीव खिरवार, भा. प्र. से., प्रधान सचिव (राजस्व) सह मंडलायुक्त

पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना के लिए सारांश प्रारूप (सभी आवश्यक परिवार के लिए पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम के तत्व)

परियोजना का नाम	सराय काले खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक शुरू होने वाले बारापुल्ला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए परियोजना का तीसरा चरण।
पुनर्वास और पुनःस्थापन के लिए भूमि और उनके सम्बंधित दावे की प्रकृति का नाम/	जैसा की कॉलम नंबर ४ में उल्लेख किया गया है
प्रभावित परिवारों को दिए गए पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिकारों के प्रावधान की समय सीमा	अवार्ड धारा 23 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की तारीख से 18 महीनों के भीतर

Sl. No.	दावेदारों के नाम / परिवार को प्रभावित करना	पिता / पति का नाम	आधार संख्या	व्यवसाय	पुनर्वास और पुनःस्थापन पात्रता।	टिप्पणियों
1.	रविंद मंजू	श्री संतोषी प्रसाद श्री सतीश	उपलब्ध नहीं है	कृषक	i. विस्थापन के मामले में आवास इकाई का प्रावधान	i. लागू नहीं, चूंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं है
2.	अनिल कुमार	स्वर्गीय श्री जिले सिंह	उपलब्ध नहीं है	कृषक	ii. जमीन आवंटित की जाए	ii. लागू नहीं, यह एक सिंचाई परियोजना नहीं है।
3.	भोपाल सिंह	तेज राम	उपलब्ध नहीं है	कृषक	iii. विकास भूमि के लिए प्रस्ताव	iii. लागू नहीं, चूंकि शहरीकरण उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।
4.	मोहन सिंह, राजीव संजीव, दीपक चौहान पिकी चौहान और हरी सिंह	स्वर्गीय अमन सिंह श्री अजीत सिंह श्री मंदीप श्री महिपाल	उपलब्ध नहीं है	कृषक	iv. वार्षिक रोजगार	iv. उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएं: - लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवारों का कोई विस्थापन नहीं है एवम न ही उनके आजीविका की हानि है (परिवारों के पास आय के अन्य स्रोत भी हैं)
5.	½ भाग कुलवंत, सुमंत, निशांत राणा ½ भाग वीरेंद्र कुमार	श्री जसवंत राणा श्री देव करन	उपलब्ध नहीं है	कृषक	v. वर्ष पर विस्थापित परिवार के लिए अनुदान	v. लागू नहीं, प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं है
6.	दीवान सिंह, ऋतुपर्ण, सूर्य प्रकाश और मुकेश चौहान	श्री नरोत्तम सिंह स्वर्गीय बालकिशन	उपलब्ध नहीं है	कृषक	vi. विस्थापित परिवार के लिए परिवहन लागत	vi. लागू नहीं, प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं है
7.	अमित चौहान, पुनीत चौहान, अजय चौहान	श्री हुकम सिंह	उपलब्ध नहीं है	कृषक	vii पशुपालक, पेटी दुकान	vii लागू नहीं, चूंकि अधिग्रहित की जा रही भूमि पर पशुपालक / छोटी दुकान गैर कानूनी है।
8.	जगदीश, अमित चौहान, पुनीत चौहान, अजय चौहान	श्री देवराज श्री हुकम सिंह	उपलब्ध नहीं है	कृषक	viii कारीगर, छोटे व्यापारियों और कुछ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान ix. मछली पकड़ने का अधिकार x. एक बार	viii. लागू नहीं, चूंकि अधिग्रहित की गई भूमि प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषि भूमि / वाणिज्यिक / औद्योगिक संरचना नहीं है। ix. लागू नहीं, यह सिंचाई / पनबिजली परियोजना नहीं है x. प्रभावित परिवार को रु। 50,000 / - का एकमुश्त

					पुनर्वास भत्ते	अनुदान दिया जाएगा.
					xi. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	xi. जरूरतमंद विभाग / निकाय (पीडब्ल्यूडी) द्वारा वहन किया जाएगा।

REVENUE DEPARTMENT

Office of the District Magistrate (South East)

DECLARATION

Delhi, the 26th August, 2021

F. No. DM/SE/RR/LAC/208.—Subject: Declaration under Section 19 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 [in accordance with Rule 10 the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement, Development Plan) Rules, 2015] regarding the proposed acquisition of land bearing Khasra No. 6 min (6727.05 sqmtr), 8 min (1150 sqmtr), 13 min (3164.5 sqmtr), 40 min (2360 sqmtr.), 156 min (9401 sqmtr.) and 221 min (7440 sqmtr), total measuring to 30242.55 sqmtr in village NangliRazapur for construction of 3rd Phase of Elevated Road (infrastructure project) on Barapulla Nallah from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, Delhi.

Whereas it appears to the Government that a total of 3.02425 hectares land is required in the Village - NangliRazapur, Sub-Division Defence Colony, District South-East Delhi for the public purpose, namely 3rd Phase of Elevated Road on Barapulla Nallah from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, Delhi.

Therefore, the declaration is made that a piece of land measuring 3.02425 hectares is under acquisition for the above said project in the Village NangliRazapur, Sub-Division -Defence Colony, District South-East, whose detailed description is as following:-

S. No.	Survey No./Khasra No.	Type of Title	Type of Land	Area under acquisition (in hectare)	Name /address of person interested	Boundaries			
						N	S	E	W
1	6min	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.120205	Rishal Singh s/o Rambal, etc: Co- sharers	DDA Land	Other Part of Kh. No.6	DDA Land	Other Part of Kh.No.6
2	6min	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.2950	Rishal Singh s/o Rambal, etc: Co-sharers	DDA Land	Other Part of Kh. No.6	DDA Land	Other Part of Kh.No.6
3	6min	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.0875	Rishal Singh s/o Rambal, etc: Co -sharers	DDA Land	Other Part of Kh.No.6	DDA Land	Other Part of Kh.No.6
4	6min	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.1700	Rishal Singh s/o Rambal, etc: Co-sharers	DDA Land	Other Part of Kh. No.6	DDA Land	Other Part of Kh. No.6
5	8min	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.1150	Rishal Singh s/o Rambal, etc: Co-sharers	Other Part of Kh. No.6	Other Part of Kh. No. 13	Other Part of Kh. No.40	Other Part of Kh.No.8 & Old Pantoon
6	13min	Private	Agriculture (Sailab	0.3154	Rishal Singh s/o Rambal, etc:	Other Part of Kh. No.8	Other Part of Kh.	Other Part of	Other Part of

			River Band)		Co-sharers		No.1	Kh.No.13	Kh. No. 12&13
7	13min	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.00105	Rishal Singh s/o Rambal, etc: Co-sharers	Other Part of Kh. No.8	Other Part of Kh. No.1	Other Part of Kh.No.13	Other Part of Kh. No. 12&13
8	40min	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.1760	Rishal Singh s/o Rambal, etc: Co-sharers	Other Part of Kh.No.6&40	Other Part of Kh.No.13	Other Part of Kh.No.40	Other Part of Kh. No.8
9	40min	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.0600	Rishal Singh s/o Rambal, etc: Co-sharers	Other Part of Kh.No.6&40	Other Part of Kh.No.13	Other Part of Kh.No.40	Other Part of Kh. No.8
10	156min	Private	River Yamuna	0.9401	Rishal Singh s/o Rambal, etc: Co-sharers	Kh. No.1,13&14	Seams of Behlolpur	River Yamuna	River Yamuna
11	221min	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.7050	Shamlat Deh	DDA Land	DDA Land	Other Part of Kh. No.221 & Old Pantoon Pul Road	Other part of Kh. No. 221
12	221min	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.0390	Shamlat Deh	DDA Land	DDA Land	Other Part of Kh. No.221 & Old Pantoon Pul Road	Other part of Kh. No. 221

Trees

Variety	Number
Bakayan	21
Shimbal	1
Neem	11
Shatut	8
Jamun	3
Bailpatar	3
Peepal	10
Mango	1
Guava	4
Beri	2
Orange	1
Mausmi	5
Anar	1
Chikku	3
Fykus	8
Gulmohar	1
Popular	6
Teak	5

This declaration is being made after hearing of objection of the persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. The number of families likely to be resettled due to land acquisition is 'NIL' and as such no

Resettlement Area has been identified. Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Officer on any working day and the same shall also be available on the website of the Divisional Commissioner (Revenue) and the District Magistrate, South-East Delhi.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

Enclosure: As above

SANJEEV KHIRWAR, IAS, Pripl. Secy. (Revenue) and Divisional Commissioner

Summary format for Rehabilitation and Resettlement Scheme (Elements of Rehabilitation and Resettlement entitlements for all the affected families)

1. Name of the project	3 rd phase of the project, for construction of Elevated Road over the Barapullaha Nallah starting from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, New Delhi.
-------------------------------	--

2. Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective claim for Rehabilitation and Resettlement	As mentioned at Serial No. 4
--	------------------------------

3. Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement entitlements given to the affected families	Within 18 months from the date of award u/s 23 RFCTLARR Act, 2013
---	---

4. Rehabilitation and Resettlement Entitlements						
Sl. No.	Name of claimants/affect family	Father's/Husband Name	Aadhar No.	Occupation	Rehabilitation and Resettlement entitlement	Remarks
1.	Ravinder Manju	Sh. Santoshi Prasad Sh. Satish	NA	FARMER	i. Provision of housing unit in case of displacement	i. NA, as there is no displacement of affected family.
2.	Anil Kumar	Late Zile Singh	NA	FARMER	ii. Land to be allotted	ii. NA, it is not an irrigation project.
3.	Bhopal Singh	Late Tej Ram	NA	FARMER	iii. Offer for Developed Land	iii. NA, as land is not being acquired for urbanization purpose.
4.	Mohan Singh, Rajeev Sanjeev, Deepak Chauhan Pinki Chauhan & Hari Singh	Late Aman Singh Sh. Ajit Singh Sh. Sandeep Sh. Mahipal	NA	FARMER	iv. Annuity /Employment v. Subsistence grant for displaced family for	iv. NA, as there is no displacement of affected family nor loss of livelihood (families having alternate sources of income). v. NA, as there is no displacement of affected family
5.	1/2	Sh. Jaswant Rana	NA	FARMER		

	Kulwant, Sumant, Nishant Rana ½ Virender Kumar	Sh. Dev Karan			period of one year vi. Transportation cost for displaced family	vi. NA, as there is no displacement of affected family vii. NA as 02 Petty shops found are unauthorised.
6.	Diwan Singh, Ritupran, Surya Prakash & Mukesh Chauhan	Sh. Narottam Singh Late Bal Kishan	NA	FARMER	vii. Cattle shed, petty shop	viii. NA, as land being acquired is not a non- agricultural land/ commercial/industrial structure in the affected area.
7.	Amit Chauhan, Punit Chauhan, Ajay Chauhan	Sh. Hukam Singh	NA	FARMER	viii. One time grant to artisan, small traders and certain others	ix. NA, it is not a irrigation/hydel project.
8.	Jagdish Amit Chauhan, Punit Chauhan, Ajay Chauhan	Sh. Devraj Sh. Hukham Singh	NA	FARMER	ix. Fishing rights x. One time resettlement allowances xi. Stamp duty and registration fee	x. Affected family shall be given one time grant of Rs 50,000/- only. xi. To be borne by the requisition department/body (PWD).